

REGULATIONS TO TRANSFER MAINTENANCE TO RWAs

89. SH. RAKESH DAULTABAD, MLA (BADSHAHPUR).

Will the Chief Minister be pleased to state:-

- a) Whether there is any plan to introduce regulation that compels the builder to transfer maintenance of the property to RWAs of Societies;
- b) The regulations under which the RWAs in the Gurugram district are registered and recognized?
- c) Whether the RWAs are recognized by the Haryana Government as representatives of residents of the Society; and
- d) Whether there is any provision to permit only one RWA to one Society?

Reply:-

Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Haryana.

- a) This Para of the question relates to the Town and Country Planning Department, Haryana and the said department has already submitted their reply to the House.
- b) RWAs are registered in terms of section 6(x) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 with the District Registrar in the concerned district. Section 6(x) of the HRRS Act, 2012 is reproduced below:-

“6(x). formation of associations of flats or tenement or condominium or floor space owners pursuant to the requirements as laid down under the Haryana Apartment Ownership Act, 1983 (Act 10 of 1983) or a welfare organization formed for housing projects or a resident welfare organization for the operation, management and maintenance of facilities for the residents or civic amenities of any defined area.”

- c) Yes, the RWAs are registered at the level of concerned District Registrar in the district under section 6(x) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012. Section 6(x) of the HRRS Act, 2012 is reproduced below:-

“6(x). formation of associations of flats or tenement or condominium or floor space owners pursuant to the requirements as laid down under the Haryana Apartment Ownership Act, 1983 (Act 10 of 1983) or a welfare organization formed for housing projects or a resident welfare organization for the operation,

management and maintenance of facilities for the residents or civic amenities of any defined area.”

- d) No, there is no such provision in the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012. However, it is defined in section 6(x) of the HRRS Act, 2012, which is reproduced as under:-

“6(x). formation of associations of flats or tenement or condominium or floor space owners pursuant to the requirements as laid down under the Haryana Apartment Ownership Act, 1983 (Act 10 of 1983) or a welfare organization formed for housing projects or a resident welfare organization for the operation, management and maintenance of facilities for the residents or civic amenities of any defined area.”

रखरखाव को आर0डब्ल्यू0ए0 को स्थानांतरित करने के लिए नियम।

89. श्री राकेश दौलताबाद, विधायक (बादशाहपुर):- क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि:-

- (क) क्या कोई नियम लागू करने की योजना है जो बिल्डर को कालोनी के रख-रखाव को आर0डब्ल्यू0ए0 को स्थानांतरित करने हेतु विवश करता है।
- (ख) वे नियम जिनके तहत गुरुग्राम जिले में आर0डब्ल्यू0ए0 पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हैं।
- (ग) क्या आर0डब्ल्यू0ए0 को हरियाणा सरकार द्वारा सोसायटी के निवासियों के प्रतिनिधियों के रूप में मान्यता प्राप्त है; और
- (घ) क्या एक सोसायटी को केवल एक आर0डब्ल्यू0ए0 की अनुमति देने का कोई प्रावधान है।

जवाब:-

दुष्यन्त चौटाला, उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा

- (क) प्रश्न का यह पैरा नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा में संबंधित है और उक्त विभाग ने पहले ही सदन को अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया है।
- (ख) आर0डब्ल्यू0ए0 संबंधित जिले में जिला रजिस्ट्रार के स्तर पर हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी अधिनियम 2012 की धारा 6(x) के अनुसार पंजीकृत हैं। एच0आर0आर0एस0 अधिनियम, 2012 की धारा 6(x) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“6(x) हरियाणा कक्ष समूह स्वामित्व अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम, 10 के अधीन यथा अधिकथित फ्लैट्स या मकान का सहस्वामित्व या फ्लोर स्पेस के स्वामियों का संघ बनाने या किसी परिभाषित क्षेत्र के निवासियों या जन सुख-सुविधाओं के लिए, सुविधाओं के संचालन, प्रबन्धन तथा रख-रखाव के लिए आवासन परियोजनाओं के लिए बनाया गया कल्याण संगठन या निवासी कल्याण संगठन बनाना।”

- (ग) हां, हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी अधिनियम, 2012 की धारा 6(x) के तहत जिले में संबंधित जिला रजिस्ट्रार के स्तर पर आर0डब्ल्यू0ए0 पंजीकृत है। एच0आर0आर0एस0 अधिनियम, 2012 की धारा 6(x) नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है।

“6(x) हरियाणा कक्ष समूह स्वामित्व अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम, 10 के अधीन यथा अधिकथित फ्लैट्स या मकान का सहस्वामित्व या फ्लोर स्पेस के स्वामियों का संघ बनाने या किसी परिभाषित क्षेत्र के निवासियों या जन सुख-सुविधाओं के लिए, सुविधाओं के संचालन, प्रबन्धन तथा रख-रखाव के लिए आवासन परियोजनाओं के लिए बनाया गया कल्याण संगठन या निवासी कल्याण संगठन बनाना।”

- (घ) नहीं, हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी अधिनियम, 2012 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, इसे एच0आर0आर0एस0 अधिनियम, 2012 की धारा 6(x) में परिभाषित किया गया है जिसे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“6(x) हरियाणा कक्ष समूह स्वामित्व अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम, 10 के अधीन यथा अधिकथित फ्लैट्स या मकान का सहस्वामित्व या फ्लोर स्पेस के स्वामियों का संघ बनाने या किसी परिभाषित क्षेत्र के निवासियों या जन सुख-सुविधाओं के लिए, सुविधाओं के संचालन, प्रबन्धन तथा रख-रखाव के लिए आवासन परियोजनाओं के लिए बनाया गया कल्याण संगठन या निवासी कल्याण संगठन बनाना।”